

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 18 सितंबर, 2013

रि.या.(सि.) सं. 5547/2012 एवं सि.वि. 11331/2012

भारत संघ

.....अपीलार्थी

द्वारा : श्री आर.वी. सिन्हा सह श्री ए.एस. सिंह,
अधिवक्तागण।

बनाम

दीपक शर्मा

.....प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री नरेश कौशिक, अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. रवींद्र भट्ट

माननीय न्यायमूर्ति श्री नज्मी वज़ीरी

न्यायमूर्ति श्री नज्मी वज़ीरी (मौखिक)

1. याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 5 मार्च, 2012 के मू.अ. सं. 4162/2010 के आदेश ("आक्षेपित आदेश") से व्यथित होकर

यह याचिका दायर की है। आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता को निर्देश देता है कि:

"...आवेदक के दिनांक 31.08.2007 के पत्र पर विचार करें, जिसमें इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से नौ सप्ताह की अवधि के भीतर नियम 48-क के प्रावधानों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध किया गया है। यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति के बाद, आवेदक विधि के अनुसार पेंशन, उपदान (ग्रेच्युटी), अवकाश नकदीकरण आदि सहित सभी सेवानिवृत्त लाभों का हकदार होगा तथा प्रत्यर्थी - विदेश मंत्रालय निर्धारित नियमों के अनुसार नोटिस अवधि के बराबर राशि समायोजित करने का हकदार होगा। यह पाया गया है कि आवेदक भ्रम के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है। इसलिए, हम यह स्पष्ट करते हैं कि आवेदक अपनी हकदार सेवानिवृत्ति की बकाया राशि पर किसी भी ब्याज का हकदार नहीं होगा। उपरोक्त आदेशों में निर्धारित प्रयोग आज से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।"

2. मामले के तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी/आवेदक ने अपीलार्थी के साथ काम करते हुए दिनांक 31 अगस्त, 2007 के पत्र द्वारा बाईस वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की थी। इस अनुरोध की उत्पत्ति याचिकाकर्ता की तिमोर-लेस्ते में संयुक्त राष्ट्र एकीकृत मिशन से एफएस-4 के पद के लिए नियुक्ति के अपने पत्र का जवाब देने की आवश्यकता में निहित थी, जो उसे कुछ सप्ताह पहले प्राप्त हुआ था।

उक्त पत्र में उसे जारी होने की तिथि अर्थात् दिनांक 18 जुलाई, 2007 से सात दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति व्यक्त करनी थी। दिनांक 20 जुलाई, 2007 के पत्र द्वारा, उसने नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अपेक्षित अनुमति मांगी और दिनांक 13 अगस्त, 2007 के एक अन्य पत्र द्वारा उसने अपना अनुरोध दोहराया। यह महसूस करते हुए कि उनके पास उपलब्ध समय बहुत कम है, उन्होंने दिनांक 31 अगस्त, 2007 को एक पत्र लिखकर अगले दिन अर्थात् दिनांक 1 सितंबर, 2007 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध किया। उन्हें लगा कि वे लागू सेवा नियमों के तहत इस विकल्प को अपनाने के पात्र हैं, अर्थात् बाईस साल की सेवा पूरी होने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी कारण से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकार्य नहीं है, तो पत्र को तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से इस्तीफे के लिए नोटिस माना जा सकता है। इसके बाद वे संयुक्त राष्ट्र की सेवा में शामिल हो गए। दिनांक 25 जुलाई, 2007 को उन्हें सतर्कता मंजूरी दी गई। उनका त्यागपत्र दिनांक 12 सितंबर, 2007 से प्रभावी रूप से स्वीकार कर लिया गया।

3. न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी/आवेदक का तर्क था कि उनके त्यागपत्र की पेशकश पूरी तरह से सशर्त थी और इस पर केवल तभी विचार किया जाना था जब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किसी भी कारण से स्वीकार्य न हो। ऐसी स्थिति में भी, उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन

की अस्वीकृति के कारणों से अवगत कराए जाने की उम्मीद थी। हालांकि, उनके त्यागपत्र को स्वीकार करने वाले दिनांक 12 सितंबर, 2007 के पत्र में इस बात का एक शब्द भी नहीं था कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उनके अनुरोध को क्यों अस्वीकार किया गया। उन्होंने सरकार से पुनर्विचार की मांग करते हुए अभ्यावेदन किया, अर्थात् त्यागपत्र की स्वीकृति को सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति माना जाए तथा संयुक्त राष्ट्र में सेवा की अवधि को उनकी प्रतिनियुक्ति पर होने के रूप में माना जाए। इस अनुरोध को दिनांक 9 जून, 2010 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। संयोगवश, पुनर्विचार पर विचार एवं सरकारी निर्णय की सूचना न्यायाधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी/आवेदक द्वारा दायर पहले के मू.अ. में पारित दिनांक 18 अप्रैल, 2010 के आदेश के अनुसरण में की गई थी।

4. वर्तमान आक्षेपित आदेश में, न्यायाधिकरण ने विचार किया है कि क्या प्रत्यर्थी/आवेदक सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48-क के तहत हकदार होगा या नहीं एवं यह तर्क दिया कि हालांकि सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में तीन महीने की सूचना देना अत्यावश्यक था तथा प्रत्यर्थी/आवेदक ने पहले ही चालीस दिन से अधिक समय पूर्व, अर्थात् दिनांक 20 जुलाई, 2007 को कार्यमुक्त होने का अनुरोध किया था ताकि वह संयुक्त राष्ट्र मिशन में शामिल हो सके, लेकिन अपीलार्थी/सरकार जवाब देने में विफल रही। यह त्यागपत्र

हताशा होने के कारण ही लिखा गया था। दरअसल, विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (प्रशासन) ने दिनांक 31 अगस्त, 2007 को आधिकारिक फाइल में नोट किया था: *“वह मुझसे यह अनुरोध करने आया था कि उसे सहानुभूतिपूर्वक सुना जाए। मुझे नहीं पता कि उसे राहत देने में कोई बाधा है या नहीं, क्या किसी नियम का उल्लंघन किए बिना कोई रास्ता है, तथा मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसा किया जाए”*। न्यायाधिकरण ने तर्क दिया कि त्यागपत्र स्पष्ट एवं बिना शर्त होना चाहिए। इसने प्रत्यर्थी/आवेदक के पत्र को सशर्त त्यागपत्र अभिनिर्धारित किया तथा *पी.के. रामचंद्र अय्यर बनाम भारत संघ, (1984) 2 एससीसी 141 तथा डॉ. प्रभा अत्री बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2003) 1 एससीसी 701* में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। उन मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित त्यागपत्रों को स्वीकार करने का दावा करने वाले संसूचना को अपास्त किया था। हालांकि वर्तमान मामले में न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन *डॉ. प्रभा अत्री (पूर्वोक्त)* के मामले में यह विधि लागू होगी। *यशवंत हरि कटक्कर बनाम भारत संघ, (1996) 7 एससीसी 113* में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए न्यायाधिकरण ने यह तर्क दिया कि इस मामले में भी सरकार को सेवानिवृत्ति लाभ देने पर अनुकूल रूप से विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रत्यर्थी/आवेदक ने पहले ही बाईस वर्ष से अधिक की अर्हक सेवा पूरी कर ली है। न्यायाधिकरण ने पाया कि

प्रत्यर्थी/आवेदक ने संयुक्त राष्ट्र मिशन में शामिल होने की अनुमति के लिए चालीस दिन पहले (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सह त्यागपत्र के पत्र हेतु) आवेदन किया था तथा किसी भी मामले में सरकार के पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए बारह स्पष्ट दिन थे, इससे पहले कि वह दिनांक 12 सितंबर, 2007 को त्यागपत्र की पेशकश स्वीकार करे। अतः, सरकार का यह तर्क कि प्रत्यर्थी/आवेदक के पत्र का जवाब देने के लिए केवल एक दिन का नोटिस दिया गया था, यह अस्वीकार्य पाया गया तथा दिनांक 9 जून, 2010 के आदेश को, हालांकि बोलने के लिए, मनमाना माना गया एवं तदनुसार अभिखंडित कर दिया गया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.वी. सिन्हा ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश अरक्षणीय है। उन्होंने प्रतिविरोध किया कि दिनांक 31 अगस्त, 2007 का पत्र अपनी भाषा एवं अर्थ में स्पष्ट है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पत्र में सबसे पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध किया गया है, ऐसा न करने पर, तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देने की पेशकश की गई है। प्रत्यर्थी/आवेदक ने सरकार से कोई जवाब पाने के लिए एक दिन भी इंतजार नहीं किया तथा संयुक्त राष्ट्र मिशन में शामिल हो गए। उनका रवैया यह था कि मुझे कोई परवाह नहीं है और मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ क्योंकि मैंने त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने प्रतिविरोध किया कि उक्त पत्र

को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु विचार किए जाने के लिए नियम 48-क(1) के तहत अनुरोध के रूप में नहीं माना जा सकता था।

6. प्रत्यर्थी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश कौशिक ने न्यायाधीकरण के समक्ष प्रत्यर्थी/आवेदक की ओर से दिए गए तर्कों को दोहराया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि नियम 48-क (3-क) (ख) के तहत, सरकार के पास गुणागुण के आधार पर तीन माह की नोटिस अवधि को कम करने का विकल्प हमेशा खुला था तथा नियुक्ति प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर नोटिस अवधि से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी, अवधि में छूट दी जा सकती है (इस शर्त पर कि सरकारी कर्मचारी नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले अपनी पेंशन के हिस्से के सरांशीकरण (कम्यूटेशन) के लिए आवेदन नहीं करेगा)। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी/आवेदक ने सरकार को स्पष्ट रूप से प्रस्ताव दिया था कि उसे देय अवकाश से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए तीन महीने के अनिवार्य नोटिस के बदले में तीन महीने का वेतन वसूल किया जाए। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी/आवेदक ने नियम 48-क की आवश्यकता का विधिवत अनुपालन किया था, लेकिन अपीलार्थी मेहनती, निष्पक्ष और जिम्मेदारी से कार्य करने में विफल रहा। न्यायालय ने बिना सोचे-समझे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उनके वास्तविक अनुरोध को अस्वीकार कर दिया तथा इसके बजाय सरकारी सेवा से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया।

7. इस न्यायालय ने पक्षकारों के प्रतिविरोधों पर विचार किया तथा यह नोटिस किया कि नियम 48-क(1) के तहत आवश्यकता यह है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु पात्र होने पर सरकारी कर्मचारी को पहले नियुक्ति प्राधिकारी को **कम से कम तीन महीने** का लिखित नोटिस देना होगा। यह विशिष्ट अनुरोध किए जाने के बाद ही आवेदक उप-नियम (3-क) (क) का लाभ उठा सकता है, जिसके तहत "उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सरकारी कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को तीन महीने से कम की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करने के लिए लिखित में अनुरोध कर सकता है, इसके लिए कारण बताते हुए"। अतः सेवानिवृत्ति की स्वैच्छिक तिथि से तीन महीने पहले आवेदन किए जाने पर ही तीन महीने की प्रतीक्षा अवधि को कम करने या माफ करने का अनुरोध किया जा सकता है। जब इस तरह से अनुरोध किया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी मामले की आवश्यकताओं के आधार पर नियम 48-क (3-क) (ख) के तहत तीन महीने की अवधि में छूट देने के लिए विवेक का प्रयोग कर सकता है। वर्तमान मामले में, ठीक इसके विपरीत किया गया था, अर्थात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन तत्काल प्रभाव से किया गया था एवं तीन महीने की नोटिस अवधि को बाद के तीन महीनों के वेतन के साथ समायोजित करने की मांग की गई थी; प्रत्यर्थी/आवेदक ने संबंधित नियम को गलत समझा था। चूंकि प्रत्यर्थी/आवेदक ने तीन महीने पहले लिखित में कोई

अनुरोध नहीं किया था, तथा इसके अलावा सरकार को दिनांक 31 अगस्त, 2007 को तत्काल प्रभाव से अपना त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए अधिसूचित किया था, अतः तीन महीने की अवधि में छूट का उपरोक्त प्रावधान उसके लिए उपलब्ध नहीं होगा। इन परिस्थितियों में, सरकार को त्यागपत्र स्वीकार करने का पूरा अधिकार था जैसा कि तत्काल मामले में किया गया था। न्यायाधिकरण ने नियम 48-क(3-क)(ख) की प्रयोज्यता का निर्माण करने तथा यह निष्कर्ष निकालने में स्वयं को गलत दिशा दी थी कि सरकार के लिए प्रत्यर्थी/आवेदक के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए बारह दिन पर्याप्त थे।

8. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है एवं याचिका स्वीकार की जाती है। जुर्माने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

नज्मी वज़ीरी
(न्यायाधीश)

एस. रवींद्र भट्ट
(न्यायाधीश)

18 सितंबर, 2013

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।